न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर

जगदीश प्रसाद बनाम मोहनलाल

तारीख हुक्म	मु.नं. 38/24 (2024/114) प्रा०पत्र-212 RTA हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-10-25	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकलाय पक्षकारान उपस्थित। हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पाया गया कि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है। ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े। चूंकि पक्षकारान सहखातेदारान है तथा पक्षकारान के हकों निर्धारण कोर्ट में विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात एवं गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। तब तक अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं पाते है। तथा प्रा० पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.05.2024 भी निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 08-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा संलग्न मूल वाद हो। (हस्ताक्षर) (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज०	